

नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2018 के अभ्यर्थियों हेतु आम सूचना

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 एवं झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 577, 578 एवं 590 सहपाठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, धारा 77 एवं धारा 78, के प्रवाचनों एवं यथोपरोक्त अधिसूचना के तहत निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण ऐसे व्यक्ति को निर्वाचन आयोग द्वारा तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करने का प्रावक्ता आकेत है। नगरपालिका आम निर्वाचन, 2018 के अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन परिणाम घोषित करने के 20 दिनों में अन्दर उन्नावन व्यय विवरणी जमा नहीं करने के कारण आयोग स्तर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

अतः समाचार पत्र के माध्यम से नगरपालिका आम निर्वाचन, 2018 के अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर देते हुए सूचित किया जाता है कि दिनांक 17.11.2022 तक अपना पक्ष संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) –सह–उपायुक्त को अनिवार्य रूप से प्राप्त स्वीकृत करा लिया जाए। उक्त पक्ष निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में आयोग द्वारा एकपक्षीय निर्णय ले लिया जाएगा। कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाए।

निर्वाचन व्यय लेखा जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाईट–secjharkhand.nic.in पर उपलब्ध है।

उप निर्वाचन आयुक्त
–सह–
संयुक्त सचिव

PR 281898 Election(22-23).D

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड
सूचना

नगरपालिका (आम) निर्वाचन, 2018 के अभ्यर्थियों हेतु आम सूचना
झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 एवं झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 577, 578 एवं 590 सहपाठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, धारा 77 एवं धारा 78, के प्रवाचनों एवं यथोपरोक्त अधिसूचना के तहत निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन परिणाम घोषित किए जाने के 20 दिनों के अन्दर निर्वाचन आयोग द्वारा तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करने का प्रावक्ता आकेत है। नगरपालिका आम निर्वाचन, 2018 के अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन परिणाम घोषित करने के अन्दर उन्नावन व्यय विवरणी जमा नहीं करने के कारण आयोग स्तर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

अतः समाचार पत्र के माध्यम से नगरपालिका आम निर्वाचन, 2018 के अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर देते हुए सूचित किया जाता है कि दिनांक 17.11.2022 तक अपना पक्ष संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) –सह–उपायुक्त को अनिवार्य रूप से प्राप्त स्वीकृत करा लिया जाए। उक्त पक्ष निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में आयोग द्वारा एकपक्षीय निर्णय ले लिया जाएगा। कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाए।

निर्वाचन व्यय लेखा जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाईट–secjharkhand.nic.in पर उपलब्ध है।

उप निर्वाचन आयुक्त
–सह– संयुक्त सचिव

PR 281902 Election(22-23).D

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिमडेगा

आम सूचना, राष्ट्रीय लोक अदालत

दिनांक 12 नवम्बर, 2022 (सूचना)

सर्वसांख्यण को संवित किया जाता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली के निदेशनसुनार व्यवहार न्यायालय, सिमडेगा के प्रावक्ता में दिनांक 12.11.2022 को पूर्वी 10.30 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित प्रकार के मामलों का निश्चादन किया जायेगा—

1. सुलू योग्य आपातकीय वाद 2. N.I. Act/ 138 से संबंधित वाद ; चेक अनादार के केसदङ्द

3. मोटर-ट्रैक्टा शीघ्रपूर्ति वाद 4. पारायारिक / विदाहिक वाद 5. शम विवाद 6. मुख अधिवाय संबंधित विवाद 7. तीव्रिकी वाद, कियाराय आदि से संबंधित वाद 8. बैंक रिकार्डो से संबंधित वाद 9. राजसम वाद 10. मरणोगा 11. विजिती विवाह और पानी विवाह से संबंधित वाद 12. विक्षी कार्य, वायाप्ति कर एवं आवाकर से संबंधित वाद 13. सोया से संबंधित वाद 14. वन विवाद से संबंधित वाद 15. उपायद से संबंधित वाद 16. विवाद अधिवाय, कियाराय अपील, विविध अपील से संबंधित वाद 17. नीलाम वाद 18. दाखिल वायाप्ति वाद 19. अन्य मामले जिनके पास लोक अदालत के मामल से सुलझाया जा सकता है।

आइ उक्त विवाह को पास लोक अदालत के निपटान सुनहरे के आधार पर करायें।

नोट—उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के राष्ट्रीय लोक अदालत पूर्व कोन्सिलियन बैठक दिनांक—01 सितम्बर, 2022 से 11 नवम्बर, 2022 तक जी जा रही है। मननीय ज्ञालासा के निर्वाचन के आलोक के अवश्यकता आवारित Continuous Lok Adalat Bench का गठन किया जा चुका है। इस संबंध में किसी भी प्रावक्ता की विवरण जानकारी हेतु आज की कार्य दिन 10:30 बजे पूर्वान्ह से कार्यावधि तक स्पेशलगा, व्यवहार न्यायालय परिवर्तन में रिकार्ड देखने के साथ प्राविकार के कार्यालय में उपरान्त हाफ सारियत संवित लिया विविध सेवा प्राधिकार, सिमडेगा

निवारिक—

आम सूचना, राष्ट्रीय लोक अदालत

दिनांक 12 नवम्बर, 2022 (सूचना)

सर्वसांख्यण को संवित किया जाता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली के निदेशनसुनार व्यवहार न्यायालय, सिमडेगा के प्रावक्ता में दिनांक 12.11.2022 को पूर्वी 10.30 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित प्रकार के मामलों का निश्चादन किया जायेगा—

1. सुलू योग्य आपातकीय वाद 2. N.I. Act/ 138 से संबंधित वाद ; चेक अनादार के केसदङ्द

3. मोटर-ट्रैक्टा शीघ्रपूर्ति वाद 4. पारायारिक / विदाहिक वाद 5. शम विवाद 6. मुख अधिवाय संबंधित विवाद 7. तीव्रिकी वाद, कियाराय आदि से संबंधित वाद 8. बैंक रिकार्डो से संबंधित वाद 9. राजसम वाद 10. मरणोगा 11. विजिती विवाह और पानी विवाह से संबंधित वाद 12. विक्षी कार्य, वायाप्ति कर एवं आवाकर से संबंधित वाद 13. सोया से संबंधित वाद 14. वन विवाद से संबंधित वाद 15. उपायद से संबंधित वाद 16. विवाद अधिवाय, कियाराय अपील, विविध अपील से संबंधित वाद 17. नीलाम वाद 18. दाखिल वायाप्ति वाद 19. अन्य मामले जिनके पास लोक अदालत के मामल से सुलझाया जा सकता है।

आइ उक्त विवाह को पास लोक अदालत के निपटान सुनहरे के आधार पर करायें।

नोट—उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के राष्ट्रीय लोक अदालत पूर्व कोन्सिलियन बैठक दिनांक—01 सितम्बर, 2022 से 11 नवम्बर, 2022 तक जी जा रही है। मननीय ज्ञालासा के निर्वाचन के आलोक के अवश्यकता आवारित Continuous Lok Adalat Bench का गठन किया जा चुका है। इस संबंध में किसी भी प्रावक्ता की विवरण जानकारी हेतु आज की कार्य दिन 10:30 बजे पूर्वान्ह से कार्यावधि तक स्पेशलगा, व्यवहार न्यायालय परिवर्तन में रिकार्ड देखने के साथ प्राविकार के कार्यालय में उपरान्त हाफ सारियत संवित लिया विविध सेवा प्राधिकार, सिमडेगा

प्राप्तिक—

आम सूचना, राष्ट्रीय लोक अदालत

दिनांक 12 नवम्बर, 2022 (सूचना)

सर्वसांख्यण को संवित किया जाता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली के निदेशनसुनार व्यवहार न्यायालय, सिमडेगा के प्रावक्ता में दिनांक 12.11.2022 को पूर्वी 10.30 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित प्रकार के मामलों का निश्चादन किया जायेगा—

1. सुलू योग्य आपातकीय वाद 2. N.I. Act/ 138 से संबंधित वाद ; चेक अनादार के केसदङ्द

3. मोटर-ट्रैक्टा शीघ्रपूर्ति वाद 4. पारायारिक / विदाहिक वाद 5. शम विवाद 6. मुख अधिवाय संबंधित विवाद 7. तीव्रिकी वाद, कियाराय आदि से संबंधित वाद 8. बैंक रिकार्डो से संबंधित वाद 9. राजसम वाद 10. मरणोगा 11. विजिती विवाह और पानी विवाह से संबंधित वाद 12. विक्षी कार्य, वायाप्ति कर एवं आवाकर से संबंधित वाद 13. सोया से संबंधित वाद 14. वन विवाद से संबंधित वाद 15. उपायद से संबंधित वाद 16. विवाद अधिवाय, कियाराय अपील, विविध अपील से संबंधित वाद 17. नीलाम वाद 18. दाखिल वायाप्ति वाद 19. अन्य मामले जिनके पास लोक अदालत के मामल से सुलझाया जा सकता है।

आइ उक्त विवाह को पास लोक अदालत के निपटान सुनहरे के आधार पर करायें।

नोट—उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के राष्ट्रीय लोक अदालत पूर्व कोन्सिलियन बैठक दिनांक—01 सितम्बर, 2022 से 11 नवम्बर, 2022 तक जी जा रही है। मननीय ज्ञालासा के निर्वाचन के आलोक के अवश्यकता आवारित Continuous Lok Adalat Bench का गठन किया जा चुका है। इस संबंध में किसी भी प्रावक्ता की विवरण जानकारी हेतु आज की कार्य दिन 10:30 बजे पूर्वान्ह से कार्यावधि तक स्पेशलगा, व्यवहार न्यायालय परिवर्तन में रिकार्ड देखने के साथ प्र

रांची निगम क्षेत्र में साफ-सफाई का निर्देश जारी



खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। ज्ञारखंड स्थापना दिवस एवं राष्ट्रपति द्वारा प्रदीप सुर्मूळ के रांची आगमन के मद्देनजर रांची नगर निगम क्षेत्रांतर्गत साफ-सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर गुरुवार को उपर नगर आयुक्त राजनीती की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिसमें उन्होंने स्वच्छता शाखा को सभी मुख्य चौक चौराहों पर रंग-रेगन, नीर शहरीदों की प्रतिमाओं की सफाई एवं मुख्य पथों के स्ट्रीट लाइट्स को विद्युतीय दुरुस्त करने का निर्देश दिया।

मैनपुरी से डिपल यादव
लड़ेगी लोकसभा चुनाव

12 दिसंबर तक ड्रोन के इस्तेमाल पर लगी पांचदी

मुंबई में आतंकी हमले का अलर्ट

• आतंकी ड्रोन और छोटे एयरप्लैन की मदद से हमले की आशंका

एजेंसी

मुंबई। मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी के नाम का एलान कर दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पक्की डिपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के बाद मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

अरण्याचल में भूकंप के तेज़ झटके, तीव्रता 5.7

सिंयांग। अरण्याचल प्रदेश के पश्चिम सिंयांग में गुरुवार सुबह भूकंप के तेज़ झटके निगरानी वा पुलिस उपायुक्त (संचालन) द्वारा लिखित विशेष अनुमति के अलावा, बुधन्युवई पुलिस

उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

जारी आदेश के अनुसार, शहर की पुलिस द्वारा हवाई निगरानी वा पुलिस उपायुक्त (संचालन) द्वारा लिखित विशेष अनुमति के अलावा, बुधन्युवई पुलिस

के उपरोक्त विवादों की वार्ता के अनुसार हमले का अलर्ट जारी किया गया है। आतंकवादी ड्रोन और छोटे एयरप्लैन की मदद से मुंबई में आतंकी हमले का अंजाम दे सकते हैं। आतंकी हमले को देखते हुए, मुंबई पुलिस ने 13 नवंबर से 12 दिसंबर तक ड्रोन, रिमोट से नियंत्रित विमान (एपरक्राफ्ट), पैराग्लाइडर, नियंत्रित विमान (एपरक्राफ्ट), और गम्भीर हमलों के तहत आतंकी हमलों की वार्ता के अंतर्गत आतंकी हमले की वार्ता के अंतर्गत जारी किया गया है, जिसमें 166 लोग मारे गए थे।

शहर की पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-144 के तहत आदेश जारी किया। पुलिस का कहना है कि इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय टंड संहिता (आईपीसी) की धारा-188 के तहत सजा दी जाएगी।

आजम की अर्जी खारिज उपचुनाव का रास्ता साफ राखना। नफरती भाषण देने के मामले में जिजी आदालत के फैसले पर रहे के लिए आजम खां की अर्जी रामपुर की सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर की सेशन कोर्ट को गुरुवार को ही आजम खां की दोषियों के अपील के रद्दे प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करने और फैसला देने के आशे दिए थे। अब रामपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है।

भत्तों ने राधारानी को भेट किया तीन करोड़ का सिंहासन

मथुरा। मथुरा के बरसाना में हीरे और सोने-चांदी बना सिंहासन बुधवार दोपहर राधारानी मंदिर में पहुंच गया। गुरुवार ने इस सिंहासन पर विराजमान होकर कोर्ट के दर्शन दिए। इस सिंहासन को दिल्ली के श्री ब्रज हारी संकीर्तन मंडप के बबू भेटा ने भेट किया है।

संसेक में गिरावट जारी

मुंबई। संसेक्स 419.85 अंक लुढ़कर 60,613.70 अंक और निपटी 128.80 अंक पर आ गया।

कांग्रेस की चुनाव समिति में जंगली टाइटलर भी

नयी दिल्ली। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस ने कम्पन कस ली है। कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति का एलान किया है। कांग्रेस ने जंगली टाइटलर का नाम भी शामिल है। जंगली टाइटलर का नाम 1984 में हुए दिल्ली दंगों में भी आ चुका है।

केरल सरकार ने राज्यपाल को विवि के चांसलर पद से हटाया

तिस्तुअनंतपुरम्। केरल सरकार ने गुरुवार को राज्यपाल अरिफ

मोहम्मद खान को राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान द्वारा नियमिती के चांसलर के पद से हटा दिया।

केरल की मौजूदा सरकार ने

केरल कलामंडलम डीप्टी यूनिवर्सिटी के नियमितों में संशोधन कर दें। फैसला दिया है।

अभ्यासबाद। भाजपा मुख्यालय में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की गई।

गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने गुरुवार को पहली लिस्ट जारी की।

180 विधानसभा सीटों में से अपनी 160 सीटों पर प्रतिवादियों का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री घोषित करने के बाद विधायिकों ने उम्मीदवारों की नियुक्ति करने के अंत में एक किंदनी वाला को फैसला किया गया है। केरल सरकार ने कहा था कि वह नहीं चाहती है कि राज्यपाल अरिफ मोहम्मद राज्य में विश्वविद्यालयों के शीर्ष पद पर रहे।

बड़े भाई नवाज शरीफ से मिलने लंदन पर हुंचे प्रधानमंत्री शहबाज

इस्लामाबाद। एक रिपोर्ट के

अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री

शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई

और पीएमएल-एन सुप्रीमो नवाज

शरीफ से लंदन में मुलायम

मुख्यमंत्री उम्मीदवारों की वार्ता के अंत में एक

किंदनी वाला को फैसला किया गया है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के

अनुसार शहबाज ने मिस्र में कॉप

27 जलवायु सम्मेलन से ब्रिटिश

राजधानी पहुंचे और लंदन में

अपने बड़े भाई नवाज के पास

निजी वार्ता पर आ गए।

रोहिणी की पेशकश को पहले लालू

ने दुर्घट दिया था : रिपोर्ट के

मुताबिक, रिंगापुर में डॉक्टरों द्वारा

राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को

सेवानिवृत होगे।



वीवीआईपी को निशाना

बना सकते हैं आतंकी

आतंकवाद के मुताबिक, 'यह संभावना है कि आतंकवादी, ये गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तर आदेश, 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में हुए घातक आतंकी हमलों के तहत जारी किया गया है, जिसमें 166 लोग मारे गए थे।

शहर की पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-144 के तहत आदेश जारी किया। पुलिस का कहना है कि इसका उल्लंघन करने वाले को वीवीआईपी को निशाना बना सकते हैं और सकते हैं। इस तरह वे वीवीआईपी को निशाना बना सकते हैं और अपने बड़े भाई के लिए आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित कर सकते हैं और एक आईडी बरामद किया है।

किसी भी संभावित हमले को रोकने के मकसद से पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर प्रतिवर्ष लगाना आवश्यक है। इसलिए, कुछ निवारक और स्क्रिय उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

जम्मू : टेस्ट मॉड्यूल का खुलासा, ४७ गिरफ्तार हथियार भी बरामद

कुपवाड़ा। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकवादी द्वारा गोली में बड़ी सफलता मिली है। यहां पुलिस और सेना के 21 एवं 47 आरआर की टीम ने टेस्ट फॉर्मेंट मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। कुपवाड़ा जिले के चीरकोट इलाके के बिलाल अहम डार से मिली जानकारी पर पुलिस और सेना ने संयुक्त अधियान शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने छह आरपेंटिंग के गिरफ्तार किया है। उनके पास से 5 पिस्टल, 10 मैगजिन, 49 पिस्टल गोला बालू, 2 ग्रेनेड और एक आईडी बरामद किया है।

किसी भी संभावित हमले को रोकने के मकसद से पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर प्रतिवर्ष लगाना आवश्यक है। इसलिए, कुछ निवारक और स्क्रिय उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

किसी भी संभावित हमले को रोकने के मकसद से पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर प्रतिवर्ष लगाना आवश्यक है। इसलिए, कुछ निवारक और स्क्रिय उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

किसी भी संभावित हमले को रोकने के मकसद से पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर प्रतिवर्ष लगाना आवश्यक है। इसलिए, कुछ निवारक और स्क्रिय उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

किसी भी संभावित हमले को रोकने के मकसद से पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर प्रतिवर्ष लगाना आवश्यक है। इसलिए, कुछ निवारक और स्क्रिय उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

किसी भी संभावित हमले को रोकने के मकसद से पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर प्रतिवर्ष लगाना आवश